न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 103/2015

मोहन लाल पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांकः 03.08.2015 निर्णय दिनांक : 09.03.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 3400 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3401 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3404 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3405 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 4426 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 वाके ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित है, जिसके सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नं0 1492 मी रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 1492 मी रकबा ..... बिस्वा, खसरा नं0 1481 मि रकबा 1बी0 12 बिस्वा, खसरा नं0 1481 मि रकबा ..... बिस्वा रेकार्ड खाते दर्ज था। जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 में प्रार्थी का पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है इसी प्रकार जमाबंदी 2030 से 2033 सम्वत् 2034 से 2037 में प्रार्थी के पिता का नाम खाते में दर्ज हो रहा है लेकिन बाद सेटलमेंट उक्त वर्णित खाते में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज नही है। सिवायचक आराजी दर्ज कर दी है जिसके खसरा नं0 3400, 3401, 3405 है जिसकी जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। अतः निवेदन है कि खसरा नं0 3400 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3401 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3404 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3405 रकबा 0.06 है0 प्रार्थी के पिता के नाम खाते में दर्ज कर तदनुसार प्रार्थी के नाम फौती इंतकाल खोले जाने का आदेश फरमावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2016/4957 दिनांक 08.12.2016 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मांगरोल के खाता संख्या 250 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 1481 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 1492 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नं0 2364 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि धन्ना वल्द कन्नीराम कोम माली सा0 देह के दर्ज खाता जमाबंदी सं0 2026–29 के अनुसार है। हाल जमाबंदी सेटलमेंट 2044–63 में खसरा नं0 3400 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3401 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 3404 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3405 रकबा

है0 सिवायचक का का दर्ज खाता है ग्राम वासियों से जानकारी लेने पर बताया है कि प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि बेची गयी थी तथा उक्त भूमि विवादित होने से 3404 रकबा 0.20 व खसरा नं0 3405 रकबा 0.06 है0 रिसीवरी के अंतर्गत तहसील हाजा द्वारा बोली पुकराई जाती है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन अध्ययन व मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि खसरा नं0 3400 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3401 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3404 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3405 रकबा 0.06 है0 प्रार्थी मोहनलाल के पिता धन्नालाल पुत्र कन्ही राम कोम मीणा निवासी सीसवाली के नाम खाते में दर्ज कर तदनुसार प्रार्थी के नाम फौती इंतकाल खोले जाने का आदेश फरमावें। इस क्रम में हमने पत्रावली में उप्लब्ध ग्राम सीसवाली का भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल वर्ष 1987 से 2007 तक का, ग्राम सीसवाली की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2026–2029 खाता संख्या 250 एवं ग्राम सीसवाली की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2030–2033 खाता संख्या 246 एवं ग्राम सीसवाली की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2034–2037 खाता संख्या 246 में धन्ना वल्द कन्ही राम कोम मीणा सा0 देह मेम्बर सहकारी सभा नं0 1243 अंकित है जिसके नाम पुराने खसरा नम्बर 1481 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 1492 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 2364 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का इन्द्राज मौजूद है। उक्त समस्त पुरानी जमाबंदी चौसाला एवं मिलान क्षेत्रफल की नकलो का अध्ययन/तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के अनुसार वाद ग्रस्त भूमियां जो मौके पर सिवायचक है और विवादग्रस्त है, पर वर्तमान प्रार्थी के पिता धन्नालाल पुत्र कन्ही राम कोम मीणा के नाम ना तो विधि संगत खातेदारी थी और न ही विधिसंगत कब्जा काश्त की कोई साक्ष्य सबूत वादी पेश कर सका है अपितू वादी का पिता धन्ना वल्द कन्ही राम के नाम उक्त भूमियां खातेदारी की नही होकर मात्र मेम्बर सहकारी सभा नं0 1243 की हैसियत से होना जाहिर है। ऐसी सूरत में वर्तमान प्रार्थी/वादी अपने पिता धन्ना की उक्त विवादास्पद भूमि पर जो वर्तमान में सिवायचक सरकार में सम्मिलित है को टाईटल दिया जाना विधि सम्मत नही है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया